



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी / एसटी एक्ट के 02 अभियुक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹26,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 120/2017 धारा- 452,427,323,504,506 भा०द०सं० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभियुक्तगण 1.रामसजीवन पुत्र बच्चा प्रजापति 2.श्रीमती केसर पत्नी रामसजीवन नि०गण भमई थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹26,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक  
अभियोजक श्री विजय  
सिंह



विवेचक-  
सीओ श्री रमेशनाथ  
सिंह



पैरोकार- थाना सिसोलर  
हे०का० राघवेन्द्र सिंह